

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3568/2026

Mukesh Alias Raj S/o Shri Budha Ram, Aged About 21 Years,
Dassusar, Police Station Rajaldesar, District Churu.
(Presnetly Lodged At District Jail Nagaur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री नरेश विश्नोई
For Respondent(s)	:	श्री प्रेम सिंह पंवार, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना— पांचौड़ी, जिला— नागौर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— **52/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में कुल 5 क्विंटल 31 किलो 810 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त की बरामदगी लावारिस स्थान से हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त बरामदशुदा डोडा पोस्त से कोई संबद्धता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति के संदर्भ में अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर पुलिस द्वारा कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है, प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र स्वयं के पूछताछ नोट व मौका तस्दीक के आधार पर संबद्ध किया गया है जो साक्ष्य में ग्राह्यता नहीं रखती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश हो चुका है। अन्य सहअभियुक्तगण जिनकी मौके पर उपस्थिति पायी गयी

है, उनसे प्रार्थी/अभियुक्त की कॉल के माध्यम से कोई संबद्धता नहीं पायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के प्रार्थी/अभियुक्त के स्वयं की संस्वीकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य इस संदर्भ में अभिलेख पर नहीं आई है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त डोडा पोस्ट का परिवहन किया हो और अन्य मौके पर उपस्थित सहअभियुक्तगण से उसकी संबद्धता हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश उर्फ राज पुत्र बुधाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J